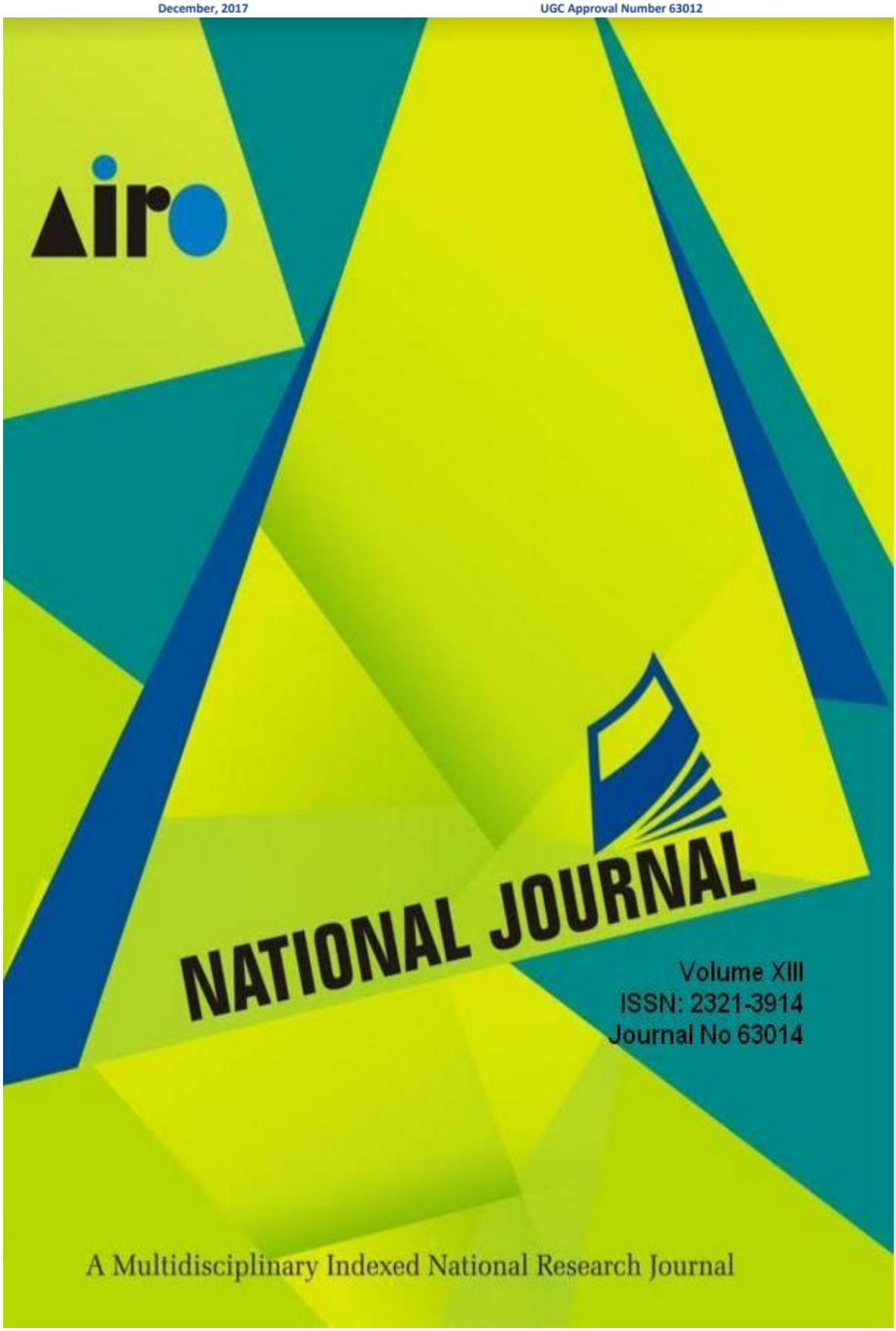
Airo
NATIONAL JOURNAL
Volume XIII
ISSN: 2321-3914
Journal No 63014
A Multidisciplinary Indexed National Research Journal

1.	Title	"बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से अशासकीय संगठन द्वारा चलाये जा रहें बाल श्रम विद्यालयों का समीक्षात्मक अध्ययन।"
2.	Name	Dr. Deepa Jain (PRINCIPAL)
3.	College Name	Tagore Shiksha Mahavidyalaya, Indore (M.P.)
4.	Email ID	drdeepajain27@gmail.com

Declaration of Author: I hereby declare that the content of this research paper has been truly made by me including the title of the research paper/research article, and no serial sequence of any sentence has been copied through internet or any other source except references or some unavoidable essential or technical terms. In case of finding any patent or copy right content of any source or other author in my paper/article, I shall always be responsible for further clarification or any legal issues. For sole right content of different author or different source, which was unintentionally or intentionally used in this research paper shall immediately be removed from this journal and I shall be accountable for any further legal issues, and there will be no responsibility of Journal in any matter. If anyone has some issue related to the content of this research papers copied or plagiarism content he/she may contact on my above mentioned email ID.

प्रस्तावना –

"शिशु देखने में असहाय होता है, किन्तु वह परिवार का भावी सम्राट है।"

– स्वामी विवेकानन्द

कहावत है – "बच्चा मनुष्य का जनक होता है।" हमारे आज के बच्चे भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करेंगे। शालाओं में पढ़ने वाले आज के छोटे–छोटे बच्चे कल देश के नागरिक होंगे तथा राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। भविष्य के निर्माता इन बच्चों की आज जो स्थिति है, उसे देखकर न केवल दुःख होता है, वरन् कभी–कभी लज्जा से सिर झुक जाता है। आज तक न तो हम उन्हें पौष्टिक आहार देकर स्वस्थ व सुखी बना सके है और न ही उचित शिक्षा–दिक्षा देकर उनके भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके है। इस समय यदि हम अर्न्तदर्शन करें, मनन एवं चिन्तन करें तो देखेंगे कि हमारे बच्चों कि आज क्या स्थिति है? भविष्य में राष्ट्र के विकास एवं उसकी चहुमुखी प्रगति में उनका क्या स्थान एवं महत्व है? इनके लिये सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? इस पर विचार सरकार का दायित्व होगर क्योंकि उनके माता–पिता अपने

जीविकापार्जन के संघर्ष में उलझे रहते है और वे अपने बच्चों को कमाने के लिये आर्थिक इकाई समझते है। उनका मानना हैं, कि दो हाथ ज्यादा होंगे तो कमाई ज्यादा होगी। अतः वे निर्धनता के कारण बच्चों को शालाओं में भेजने की अपेक्षा मजदूरी कराना ज्यादा अच्छा समझते है।

संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6–14 वर्ष के सभी बालक, बालिकाओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी "बाल श्रमिक" प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है, उनके लिये आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है। यही कारण हैं कि भारत में बाल श्रम की समस्या आज भी विद्यमान है और "बाल श्रम" समस्या भारत की प्रमुख समस्या में से एक है।

मानव जीवन में श्रम का महत्व प्रतिपादित होने पर भी वर्तमान समाज में हमें "बाल श्रम" जैसी समस्या सुरसा के समान चहुंओर अपना मुँह फैलाए दृष्टिगोचर होती है। इसका प्रमुख कारण हैं कि आज के विकसित समाज में भी माता–पिता की आथिक विपन्नता, उनको अपने बालकों से श्रम कराने के लिए मजबूर कर रही है। यही मूल कारण हैं कि आज भी हम अपने आस–पास "बाल श्रम" जैसी समस्या को विद्यमान पाते है। वर्तमान में हम भारत को पूर्ण रूपेण विकसित करने का स्वप्न अपने मन–मस्तिष्क में सजाए बैठे है। परन्तु उन लाखों श्रमिक बालकों के स्वर्णिम भविष्य की ओर किसी का ध्यान नही जाता।

वास्तव में ये वे समस्याओं हैं जिनकों अर्न्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निम्न प्रकार से परिभाषित किया गयाहै – "बाल श्रमिक" वे है जो नियमित रूप से वयस्क की तरह जीवन जी रहे है। तथा कम मजदूरी पर ऐसी कार्य दशाओं में कार्य करते है जो मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक है। परिस्थितिश उन्हें अपने परिवार से भी कभी–कभी दूर रहना पड़ता है। तथा वे अपनी शिक्षा से वंचित रहते है। जिनसे उनके उज्जवल भविष्य के रास्ते खुलते है।

हमारे समाज में बाल श्रमिक विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों में देखे जा सकते है – जैसे रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, होटलों में, ऑटो गैरेज में, घरों में काम करने में, कुटीर उद्योगों में, जूते पॉलिश, अखबार बाँटना, मकान – भवनों को

बनाने वाली साइट पर, ढाबों पर, कचरा बीनने, फल–सब्जी बेंचने, बेग सुधारने आदि इसका वास्तविक कारण उनकीउ आर्थिक परिस्थितियों को माना जा सकता है। जिसके कारण वे अपनी शिक्षा से दूर होकर श्रम करने के लिए मजबूर होते है। ये स्थितियों निम्नानुसार हो सकती है –

1. परिवार की निर्धनता
2. घरेलू परिस्थितियाँ
3. अर्थोपार्जन की विवशता
4. अनुपयुक्त वातावरण इत्यादि।

"बाल श्रम" की समस्या निश्चित रूप से एक वृहत् सामाजिक समस्या है, जिसकी उत्पत्ति परिवार की अल्प आय, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या, परिवार के मुखिया अथवा वरिष्ठ सदस्यों में विद्यमान बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआँ खेलना आदि साथ ही साथ शैक्षिक दृष्टि से असक्षमता होने के कारण भी निर्मित होती है।

हम शिक्षा के क्षेत्र से जुडे है, हमने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। परन्तु वर्तमान उभरते हुए भारतीय समाज में अनेक समस्याएँ देखने को मिलती है जैसे–सामाजिक, पर्यावरण का प्रदूषण, पानी की कमी, ऊर्जा संकट, जनसंख्या वृद्धि आदि इसी के साथ बाल श्रम की समस्या हमारी प्रमुख समस्या है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है। क्योंकि –

"बालक में अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास ही शिक्षा है।"

–स्वामी विवेकानन्द

आधी सदी पूर्व विभिन्न प्रकार के कष्ट संघर्ष एवं बलिदानों के पश्चात् हमें अपने देश को स्वतन्त्र कराने में सफलता मिली। परन्तु केवल स्वतन्त्रता पा लेने से ही हमारे उद्देश्य की पुर्ति नही हो पाई। प्रजातन्त्र की सफलता के लिये शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के आधार पर ही हम यह विश्वास कर सकते हैं कि हममें उन आदतों, दृष्टिकोणों, विचारों,

भावनाओं एवं चारित्रिक विशेषताओं का समावेश होना अनिवार्य है। जिनसे हम अपने जनतन्त्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकें।

प्राकृतिक सम्पदाओं में हमारा देश सम्पन्न है, किन्तु हम प्राकृतिक सम्पदाओं का समुचित ढंग से दोहन नही कर पा रहें है, क्योंकि इसमें आर्थिक असमानता विद्यमान है। इस कारण से हम अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं का लाभ समान रूप से सभी वर्गो को नहीं पहुँचा पा रहे है। इसका मूल कारण हैं कि हमारें भारत वर्ष में आर्थिक दृष्टि से समाज तीन वर्गो में विभाजित हो गया है। जैसे उच्चवर्ग, मध्यवर्ग, निम्नवर्ग, इस दृष्टि से निम्नवर्ग सभी सुविधाओं से वंचित है और इसी कारण से उसे जीवन यापन के लिए दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूति करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसका अधिकतम समय अपने जीविकापार्जन में ही निकल जाता है और वह अपने बच्चों के लिये शिक्षा हेतु समय नही दे पाता है। तथा जीवन यापन के लिये उन्हें भी किसी न किसी काम में लगा देता है। जबकि इस समय उन्हें शालाओं में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि आज का बालक देश का भावी नागरिक है जिस पर प्रजातन्त्र की सफलता का भार निर्भर है।

मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र एवं आवास प्रमुख है। जिन निर्धन व्यक्तियों के लिये रोजी–रोटी के लिये धन उपार्जन करना ही उनकी प्रमुख समस्या है अतः वे इस समस्या के समाधान हेतु अपने बच्चों को आर्थिक इकाई मानते है क्योंकि उनके अनुसार जितने हाथ अधिक होंगे उतना धन उपार्जन अधिक होगा और उन्हें किसी न किसी प्रकार के काम में लगा देते है जिससे धनोपार्जन हो सके, इस कारण वे अपने बच्चों को शालाओं में भेजने की उपेक्षा किसी भी तरह से धन कमाने के लिये लगाना ज्यादा उचित समझते हैं क्योंकि उनके सामने परिवार (बच्चों) के भरण पोषण की समस्या सुरसा के समान मुँह फैलाये हुवे खड़ी है। अतः बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु शाला में भेजना वे द्वितीय आवश्यकता समझते है– क्योंकि कहावत है– "भूखे भजन न होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला" शिक्षा के अर्थ एवं महत्व का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गाँधी ने अपने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये, कि – भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित होने से उनका अभिप्राय यह नही था कि वह साक्षर हो। वे साक्षरता को शिक्षा नही

मानते थे। वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था – "साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न प्रारम्भ। यह केवल एक साधन है, जिसके द्वारा, पुरूष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है।" इस प्रकार शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय न तो साक्षरता था और न ज्ञान, तो फिर शिक्षा से उनका क्या अभिप्राय था? हमें इसका उत्तर उन्ही के इन शब्दों में मिलता ह – "शिक्षा से मेरा अभिप्राय है – बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिक और आत्मा में पाये जानें वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास।"

क्योंकि देश के बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति है।

इनका सर्वांगीण विकास सरकार की जिम्मेदारी है एवं समाज का नैतिक दायित्व है कि वह बालक के विकास के लिये बच्चों के कार्यक्रमों को हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में स्थायी रूप से शामिल करें, ताकि हमारे देश के बच्चो बड़े होकर स्वस्थ्य नागरिक बने जो नैतिक दृष्टि से स्वस्थ हों एवं उन दक्षतओं और प्रेरणाओं से सम्पन्न हो जिनकी आज समाज एवं देश को अत्यन्त आवश्यकता है। किन्तु भारत वर्ष में आर्थिक दृष्टि से हमारा समाज तीन वर्गो में बटा हुआ है जैसे उच्च वर्ग (आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न), मध्यम वर्ग (सामान्य), निम्न वर्ग (आर्थिक दृष्टि से कमजोर), निन्न वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने बच्चों के भरण–पोषण हेतु उचित व्यवस्था नही जुटा पाता क्योंकि इस वर्ग के परिवारों में बच्चों की संख्या भी अधिक होती है। घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माता–पिता अपने माता–पिता अपने बालकों को भी काम पर ले जाते है और काम पर लगा देते है। इस तरह धीरे–धीरे ये बालक उसी स्थान पर कार्य करना प्रारंभ कर देते है और बाल श्रमिक की श्रेणी में आ जाते है, जिन्हें बाल श्रमिक कहते है।

बाल श्रमिक सामान्य रूप से अपने बचपन में ही घर–परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों की भांति काम करके परिवार की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनकर रह जाते है। ऐसे बाल श्रमिकों के लिये आज विशेष कार्य योजनाओं की आवश्यकता है जो इन्हें कार्य करने के साथ ही शिक्षा से भी जोडे रखे। उन समस्त संसाधनों का प्रयोग इन

बाल श्रमिको के लिये भी किया जाना चाहिये जो इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखे क्योंकि मात्र किसी बात को कह देने से वो बात पूर्ण रूप से क्रियान्वित नही हो पाती है, और जो परिणाम मिलना चाहिए उनका लाभ बालक/बालिकाओं को नही मिल पा रहा है इससे यह स्पष्ट होता हैं कि हमारी सारी योजनाएँ कागजों पर ही बनकर रह जाती है और उनका लाभ गरीब वर्ग के जिन बच्चों को मिलना चाहिए उन्हें नही मिल पा रहा है। सरकार द्वारा इस हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे है परन्तु निम्न वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित नही हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम नही हैं कि सरकार उनके लिये क्या प्रयास कर रही है। इसका कारण यह भी हैं कि समाज अपने दायित्व को समझते हुए पहल नहीकर रहा है और इस वर्ग को मिलने वाले लाभों से समाज उन्हें जागरूक नहीं करा रहा है। इस वर्ग में शिक्षा का प्रसार होना अत्यन्त आवश्यक है। आज समाज को किस प्रकार शिक्षा की आवश्यकता है ये स्वामी विवेकानन्द जी के शब्दों में स्पष्ट है –"हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शिक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।"

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास हो सके क्योंकि देश के विकास के लिये बालक का विकास अत्यन्त आवश्यक है और बालक का विकास शिक्षा के द्वारा ही करती है। प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा की आधारशिला होती है, जिस पर बालक के सफल जीवन की इमारत का निर्माण होता है। चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है अतः आवश्यकता इस बात की हैं कि शिक्षा जीवन के सभी पक्षों में बच्चों के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि –

"शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, जिस पर वह पहुँच सकता है।"

–क्रॉण्ट

"शिक्षा" समाज की आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी, उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। वर्तमान शिक्षा बाल केन्द्रित होने पर भी देश के विकास में सहायक नही हो पा रही है। इसमें प्रमुख बाधा इस बात की हैं कि समाज के

गरीब वर्ग के लोग आज भी अपने बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूपेण ध्यान केन्द्रित नही कर पा रहे है इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान में हमारे देश में लगभग 10 करोड काम करने वाले बच्चे है। इन श्रमिक बालकों के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को महत्व दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि ये बाल श्रमिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। इन बाल श्रमिकों के लिये ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो इनका भविष्य सुरक्षित करें एवं समाज में प्रतिष्ठा पूर्ण जीवनयापन करने हेतु सहयोग प्रदान करें इनको स्वयं के अधिकारों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये बाल श्रमिक शोषण का शिकार बनते है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कुछ इस प्रकार कि शिक्षा व्यवस्था करें जो इन बालक/बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक हो सके। श्रम अनुसंधान समिति ने कहा है – प्रणाली को महत्व दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि ये बाल श्रमिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। इन बाल श्रमिकों के लिये ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो इनका भविष्य सुरक्षित करें एवं समाज में प्रतिष्ठा पूर्ण जीवनयापन करने हेतु सहयोग प्रदान करें इनको स्वयं के अधिकारों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये बाल श्रमिक शोषण का शिकार बनते है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कुछ इस प्रकार कि शिक्षा व्यवस्था करें जो इन बालक/बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक हो सके। श्रम अनुसंधान समिति ने कहा है – "कुछ उद्योगों में बालकों को अवैध रूप से रोजगार में लगाना भारत की श्रम दशाओं पर एक काला धब्बा है।"

बाल श्रम प्रायः कम मजदूरी पर काम करने के लिये मिल जाते है। अतः लोग भी अपने लाभार्जन के लालच में इन मासूम बच्चों के भविष्य को अनदेखा कर देते है और मात्र एक समय भोजन देने का लालच देकर अवैधानिक रूप से अपने व्यवसाय पर काम पर लगा देते है। इस तरह बालक धीरे–धीरे शोषण का शिकार बनते है और स्लेट–पेंसिल उद्योगो में निरन्तर काम करने के कारण इनके स्वास्थ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन्ही सब समस्याओं के समाधान का मार्ग मात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। बालक के समस्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिये ही बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत कुछ विशेष बाल श्रम विद्यालय वर्तमान में संचालित किये जा रहें है जो इन

श्रमिकों की शिक्षा की व्यवस्था कर, उनके जीवन का मार्ग प्रकाशमय बनाने हेतु प्रयत्नशील है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि देश का प्रत्येक बच्चा पढ़े और आगे बढे तथा अपने परिवार, समाज, देश तथा राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करें इसीलिए –

"हमारा संदेश बाल श्रम विहीन हो मध्यप्रदेश।"

बालश्रम का अर्थ –

बाल श्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। विश्व के विकसित देशा में तो इस समस्या पर काबू पा लिया गया है, किन्तु भारत जैसे अनेक विकासशील देश अभी भी इस समस्या से जूझ रहे है। बाल श्रम की दर अफ्रीका में अधिकतम है, किन्तु श्रम शक्ति में बच्चों और शिशु श्रमिकों का बडा देश भारत से ही है। यहाँ शिशु श्रमिकों की संख्या हॉलैण्ड और स्पेन जैसे देशों की पूरी जनसंख्या के बराबर है।"

<u>बाल श्रम का अभिप्राय</u> –

बाल मजदूरी (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा है – "वह जो 14 साल की उम्र से कम का हो।" इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कमू आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते है। समान्यतः 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बाल श्रमिक के अन्तर्गत आते है।

अर्थशास्त्र में श्रमिक उस व्यक्ति को कहते है जो आय प्राप्ति के उद्देश्य से मानसिक या शारीरिक श्रम करता है। जब इस प्रकार का काम कम उम्र के बच्चों द्वारा किया जाता है तब इसे बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रमिक मुख्य रूप से शारीरिक श्रम ही करते है। भारत में छोटे–छोटे बच्चों को भी अपनी आजीविका अर्जित करनी पडती है। विशेषकर निर्धन परिवारों के बच्चे होटलों, दुकानों आदि में कार्य करते है। इनके अतिरिक्त जूता पॉलिश, अखबार बेचकर भी वे अपना पेट पालते है। कृषि क्षेत्र में जिन किसानों के

पास स्वयं कह जमीन नही है उनके बच्चों की बडी संख्या मजदूरी करने के लिये मजबूर है।

भिन्न–भिन्न देशों में किशोरावस्था की भिन्न–भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है।

मनोवैज्ञानिक जैसिल्ड ने कहा है – "किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की और बढ़ता है।" इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस अवस्था में जिसमें कि बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की और बढ़ता है, उससे जो श्रम करवाया जाता है उसे बाल श्रम कहा जा सकता है।

वैधानिक रूप से बालश्रमिकों के अन्तर्गत वे ही मजदूर आते है। जो न्यूनतम आयु से अधिक है, परन्तु व्यस्क नही है।

बाल श्रमिकों के वर्ग –

बाल श्रमिकों को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है –

1. वैधानिक बाल श्रमिक
2. अवैधानिक बाल श्रमिक

1. वैधानिक बाल श्रमिक

जिनकों की कानूनी तौर से बाल श्रमिक कहा जाता है। वैधानिक बाल श्रमिकों के अंतर्गत वे बालक/बालिकाए। सम्मिलित किये जाते है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के है और किसी न किसी श्रम कार्य में लगे हुए है। इन्हें बाल मजदूर भी कहते है।

भारत में वैधानिक बाल श्रमिकों की संख्या पहले बहुत अधिक थी परन्तु अधिनियमों के नियन्त्रण के कारण वह क्रमशः कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण है, बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु सीमा में लगातार वृद्धि। 1881 के पूर्व देश में बच्चों की आयु

और कार्य के घण्टों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नही था और देश के कारखानों में 6–7 वर्ष के बच्चे भी काम करते थे, जिनकों 12–14 घण्टे काम करना पडता था। उस समय इनकी संख्या अधिक थी परन्तु बाद में कम होने लगी। बाल श्रम निषेध अधिनियमों की कठोरता के कारण आज बाल श्रमिक उतनी अधिक मात्रा में देखने को नही मिलते परन्तु जब–जब सर्वेक्षण द्वारा देखा गया लगभग व्यवसायों में बाल श्रमिक श्रम करते मिले।

सामान्यतः सर्वेक्षण के माध्यम से जब–जब बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया गया तब–तब यह आँकडे पूरी तरह से सही नही मिल सके। लेबर ब्यूरों के सर्वेक्षण में कहा गया है कि, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचना द्वारा बाल श्रमिकों का वृतान्त सही होने में सन्देह है। कारखाने के निरीक्षकों का यह अनुमान है कि जैसे ही वे निरीक्षण के लिये पहुँचते है वैसे ही बहुत से बाल मजदूर कारखानों से मालिक द्वारा हटा दिये जाते है। इनमें बहुधा न्यूनतम आयु से कम के मजदूर होते है।

"तात्पर्य यह हैं कि कारखाना अधिनियम में न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई है। उससे कम आयु के बालकों को भी काम पर रखा जाता है, परन्तु कानूनी तौर पर दस्तावेजों में इनका कोई उल्लेख नही होता है। वास्तव में बाल श्रमिकों की संख्या प्राप्त आंकड़ो से अधिक हो सकती है। लेबर ब्यूरों ने यह भी पता लगाया हैं कि बहुत से बालकों को झूठे डॉक्टरी प्रमाण पत्रों के द्वारा अधिक उम्र का दिखाकर किशोर श्रेणी में दिखा दिया जाता है।" कानूनी तौर पर दस्तावेजों में इनका कोई उल्लेख नही हाता है।

2. <u>अवैधानिक बाल श्रमिक</u> :–

यह श्रेणी बहुत विस्तृत है। इसके अन्तर्गत सब बच्चे, किशोर आदि जो विभिन्न उद्योगों में लगे हुए है, आ जाते है। इस वर्ग में असंगठित उद्योगों में लगे हुए बच्चे, खेतीहर मजदूर, बालक/बालिकायें, जूता पॉलिश करने वाले, अखबार बेचने वाले, होटल, दुकानों और ढ़ाबों में कार्य करने वाले, बीडी, अगरबत्ती व मोटर गैरजों में कार्य करने वाले, निर्माण कार्यो में कार्यरत, टेम्पों में कन्डक्टर व कुली के रूप में कार्य करने वाले, घरेलू नौकर व फैरी व्यवसाय में कार्य करने वाले वे सब बच्चे आ जाते है जो गैर कानूनी ढंग से कार्यरत है।

इन मजदूरों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन व्यवसायें में लगे बाल श्रमिकों के सन्दर्भ में कही भी हमें पर्याप्त विश्वसनीय आंकडे उपलब्ध नही हो पा रहें है। यह उल्लेखनीय हैं कि श्रमशास्त्र में विशेष रूप से वैधानिक बाल श्रमिकों की समस्याओं पर विचार होता है।

असंगठित उद्योगो में जहाँ यह सीमा निर्धारित नहीहै वहां बाल श्रमिक की परिभाषा में वे सब बच्चे आ जाते है, जो वयस्क नही है।

भारतीय संविधान की धारा (III) के अनुसार–

"कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है, किसी कारखाने या खदान में अथवा किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता।"

संक्षेप में संगठित क्षेत्र के बाल श्रमिकों से तात्पर्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक आयु के उन मजदूरों से है जो अभी वयस्क नही हुए है। असंगठित उद्योगों में जहाँ यह सीमा निर्धारित नही है, वहाँ बाल श्रमिक की परिभाषा में वे सब बच्चे आ जाते है, जो वयस्क नही है।

<u>बाल श्रम की प्रकृति</u> :–

बाल श्रम की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है –

1. अधिकांश बाल श्रमिक गांवों में दिखाई देते है, जैसे – पशु चराने में, फसलें काटने में इत्यादि।
2. अधिकांश बाल श्रमिक बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते है।
3. जोखिम भरे उद्योगों में भी बाल श्रमिक बडी संख्या में कार्य कर रहे है।
4. असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाती है।
5. सामान्यतया बाल श्रमिक गरीब परिवार से होते है।

<u>बाल श्रमिक बनने के कारण</u> :–

श्रम अनुसंधान समिति ने कहा है – **"कुछ उद्योगों में बालकों को अवैध रूप से रोजगार में लगाना भारत की श्रम दशाओं पर एक काला धब्बा है।"** बच्चों को मजदूरी करने पर बाध्य होने के बहुत से कारण है, उनमें से मुख्य कारण निम्नलिखित है – जैसे पारिवारिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अन्य कारण।

1. **<u>पारिवारिक कारण</u> :–**

छोटी उम्र के बालकों को काम पर जाने का सबसे प्रमुख कारण पारिवारिक स्थिति है। सामान्यतः परिवार का आकार बड़ा होता है, वयस्क व्यक्ति की बेरोजगारी और निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों के कारण परिवार के सभी सदस्य अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने में स्वयं को असमर्थ पाते है, स्वयं की इसी असमर्थता के कारण रात–दिन गृह कलह, शराब पीकर मारना – पीटना व बच्चों के साथ उपेक्षानूर्ण व्यवहार के कारण ही कई बार बाले बचपन से ही काम करने लगता है। हमारे देश में पारिवारिक व्यवसाय में ही बच्चों को लगाने की परम्परा बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि करती है।

2. **<u>शैक्षणिक कारण</u>** :–

हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नही है जिसके अनुसार एक निश्चित आयु तक बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेना जरूरी हो। माता–पिता के अशिक्षित होने से शिक्षा का कोई महत्व उनकी दृष्टि में नही होता है। अतः शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में ही वे अपने बच्चों को स्कूल न भेजते हुए काम पर लगा देते है।

3. **<u>आर्थिक कारण</u> :–**

भारत एक विकासशील देश है और सम्पूर्ण आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन जी रहा है।

माता–पिता प्रायः इतने गरीब होते है, कि वे बच्चों को पढ़ा लिखा सकना तो दूर उनको दो समय भरपेट कराने में भी असमर्थ होते है। सामान्यतः अभिभावकों की ऐसी

मानसिकता बन जाती है कि बच्चे कुछ कमाकर लायें और उनकी सहायता करें। भारत में बाल श्रमिक प्रथा का यह प्रमुख कारण है।

4. <u>सामाजिक कारण</u> :–

बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण सामाजिक परम्पराएँ। व सामाजिक व्यवस्था है। हमारे समाज में प्रायः आज भी कुछ ऐसे वर्ग है, जिनके चेतना का अभाव है। ये लोग इसे अपनी किस्मत मानते है व बच्चों को शिक्ष प्राप्त करने हेतु विद्यालय नही भेजते, अपितु अपने ही साथ कार्य में लगा देते है। जैसे धोबी के बच्चे कपड़ो की धुलाई का कार्य, चमार के बच्चे जुते – चप्पल बनाने का कार्य, भीलों के बच्चे मजदूरी करने का कार्य एवं माली के बच्चे बागवानी एवं हार – फूल का कार्य करते समानान्यता देखे जाते है।

5. <u>राजनैतिक कारण</u> :–

बाल श्रमिकों हेतु कुछ हद तक राजनैतिक कारण भी जिम्मेदार है, क्योंकि अधिक मात्रा में चन्दा एवं जनसहयोग प्राप्त करने के लालच में बड़े–बडे उद्योगपतियों के कारखानों में बच्चों को काम पर लगा देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। इससे उद्योगपतियों को अधिक मात्रा में बालकों को काम पर रखने का प्रोत्साहन मिलता है।

<u>अन्य कारण</u> :–

बाल श्रमिक हेतु मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक कारण ही जिम्मेदार नही है बल्कि अन्य कारण भी जिम्मेदार है जो निम्नानुसार है –

<u>निर्धनता</u> :–

भारत में छोटे बालक/बालिकाओं को कार्य पर लगाने का सबसे प्रमुख कारण भारतीय श्रमिकों की गरीबी है। भारत देश में माता–पिता सामान्यतया इतने निर्धन होते है कि वे अपने बच्चों के लिये खाने – पहनने तथा शिक्षा की व्यवस्था नही कर सकते है। अतः वे चाहते हैं कि बच्चे भी कुछ कमाकर लायें और उनकी आर्थिक मदद करें। इस कारण बच्चों को उद्योगों एवं अन्य स्थानों पर काम करना पड़ता है।

कुटीर उद्योगों का पतन :–

भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर खने का एक कारण कुटीर उद्योग–धन्धों का पतन है। पहले बाल्यावस्था से ही बच्चे घर के कुटीर धंधों में हाथ बटाँते थे, परन्तु औद्योगीकरण के साथ–साथ जब गृह उद्योगों का पतन हुआ तो घर के अन्य सदस्यों के साथ बच्चों को भी अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिये बाध्य होना पड़ा।

उद्योगपतियों को लाभ :–

उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से बालकों को रोजगार पर लगाना अधिक लाभदायक होता है क्योंकि सेवायोजक बच्चों को सरलता से अनुशासन में रख सकते है, साथ ही उनको कम मजदूरी दे सकते है और अधिक काम ले सकते है। इस प्रकार उद्योगपति अपनी शर्तों पर बालकों को काम पर लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते है।

नियमों की शिथिलता :–

भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और इस हेतु अनेक कानून बनाए गये है। जिनका पालन कर छोटे बच्चों पर काम का दबाव नही डाला जा सकता, परन्तु इन अधिनियमों का उचित रूप से पालन नही होता है। इन श्रमिक बालकों के अभिभावक एवं सेवायोजक झूठे डॉक्टरी प्रमाण–पत्र व रिश्वत आदि के द्वारा अपना काम निकाल लेते है। नियमों की इस शिथिलता के कारण कुछ उद्योगों में बालकों को भी अवैद्य रूप से रोजगार में लगाया जाता है।

अशिक्षा :–

बाल श्रमिकों द्वारा रोजगार पर जाने के पीछे अशिक्षा भी एक कारण है, जिन बालकों के माता–पिता स्वयं अशिक्षित है वे शिक्षा के महत्व को नही समझते है एवं अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन रहते है। इसी के साथ ही कुछ अभिभावक ऐसी भी है, जो शिक्षा के महत्व को तो समझते है, परन्तु उनके पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर शिक्षित करने के लिये पर्याप्त धन एवं मार्गदर्शन नही है। अभिभावकों के सामने एक समस्या और भी है, कि कुछ अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक भी है तथा उनके पास साधन भी उपलब्ध है, परन्तु उनके गाँव मे विद्यालय नही है। इन्ही सब कारणों से ग्रामीण क्षेत्र के बालक/बालिकाएँ शिक्षारूपी प्रकाश से वंचित रह जाते है और इस तरह श्रम रूपी अंधकार में अपना जीवन व्यतित करने हेतु मजबूर हो जाते है और धीरे–धीरे स्वयं को इन श्रम साध्य इकाई को सौंप देते है और बचपन से ही शिक्षा रूपी प्रकाश के मार्ग से हटकर श्रम रूपी अंधकारमय गलियों में विचरण कर अपना बचपन बिता देते है।

कृषि पर भार में वृद्धि :–

भारत में निरन्तर हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार बढता जा रहा है। भारतीय परिवारों में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमों के कारण बडे–बडे चकों का बटवॉरा छोटे–छोटे खेतों मे हा जाता है और इन छोटे–छोटे खेतों पर जब परिवार के सभी सदस्यों का भरण–पोषण नही हो पाता है, तब परिवार के बालक मिलों, खदानों या अन्य स्थानों पर कार्य करने के लिये बाध्य हो जाते है। इस तरह ये बाल श्रमिक दिनोंदिन श्रम साध्य होते चले जाते है।

बढ़ती हुई कीमतें :–

जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध साधन कम पडते जा रहे है और जो साधन उपलब्ध होते भी है उनकी किमतें इतनी अधिक होती है, कि साधारण वर्ग का व्यक्ति उसे चुका पाने में अपने आपको असमर्थ पाता है, अपनी अनिवार्याओं को पूरा करने के लिये उसे अपने बच्चों को भी काम पर लगाने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

शिक्षा एवं बाल श्रम परियोजना :–

" बाल मजदूरी मिटे तो बढ़े रोजगार,

बच्चों को मिले शिक्षा का अधिकार।"

क्योंकि –

"शिक्षा पूर्णता का विकास है"

–स्वामी विवेकानन्द

जिस समय मानव शिशु का जन्म होता है, वह अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे अधिक दुर्बल/कमजोर होता है। जन्म के तुरन्त पश्चात् न तो वह चल–फिर सकता है और न ही स्वयं खा – पी सकता है और न ही अपनी आवश्यकताओं को दूसरों पर अभिव्यक्त ही कर सकता है। बालक अपनी इसी असहाय अवस्था के कारण परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होता है। इसी अश्रितता के कारण बालक अपनी आवश्यकतओं की पूर्ति के लिये दूसरों की सहायता लेता है। इसके विपरित अन्य पशुओं के शिशु कुछ सप्ताह अथवा कुछ माह के होते ही पैरों से पुष्ट होकर उछलने कूदने लगते है एवं भूख को शान्त करने के लिये शिकार भी करने लगते है। इस प्रकार पशु–शिशु अपने वातावरण के साथ जन्म के कुछ समय पश्चात् ही सामंजस्य करना सीख लेते है। वही मानव शिशु जन्म के पश्चात् लगभग 3–4 वर्षो तक सर्वथा निरूपाय और दूसरों पर निर्भर बना रहता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य उसकी देख–भाल न करे तो शायद उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायें। जैसे–जैसे बालक बडा होता जाता है, वैसे–वैसे वह अपनी आवश्यकता को पूरा करना सीख लेता है एवं वातावरण के अनुसार स्वयं को तैयार कर लेता है और अपने आस–पास के वातावरण के साथ बालक सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इन सब कायो में समायोजन करने में शिक्षा उसे विशेष सहयोग प्रदान करती है। अपने बचपन का यह असहाय प्राणी बडा होकर समस्त प्राणी जगत पर शासन करता है। वह केवल भू–मण्डल पर ही नही वरन् जल और गगन में भी स्वछन्द विचरण करता है। अपने मस्तिष्क की उड़ानों से वह पृथ्वी से करोड़ों मील दूर के ग्रह–नक्षत्रों की भी जानकारी रखता है। मनुष्य में यह सब परिवतन कैसे संभव होते है? इसका एक मात्र उत्तर है – "शिक्षा" क्योंकि

शिक्षा ही वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा "निरूपाय" एवं "पर – निर्भर" मानव शिशु अपना सवांगीण विकास कर इस विकसित समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा न केवल बालक को अपने वातावरण के साथ्ज्ञ सामंजस्य करना सिखाती है वरन् उसके व्यवहार में उचित व्यवहार में उचित परिवर्तन भी करती है ताकि बालक स्वयं का और अपने परिवार तथा समाज का कल्याण करने में सफल हो सकें।

शिक्षा के माध्यम से ही मानव जाति द्वारा संग्रहित हजारों वर्षो के अनुभव बालक को हस्तांतरित कर दिये जाते है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक अपनी सामाजिक संस्कृति को ग्रहण करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का शरीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्यात्मक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है और इसी निर्माण के आधार पर वह आत्मविश्वास के पथ पर अग्रसर होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का सामाजीकरा होता है और वह धीरे–धीरे मनुष्य की संज्ञा पाने लगता है। यह कहना गलत नही होगा कि मानव के ज्ञान–विज्ञान की प्रगति में शिक्षा ही सबसे अधिक आश्चर्यजनक और क्रांतिकारी खोज है।

किसी मनुष्य के जीवन स्तर को उसके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के आधार पर सामान्यतता नापा या जाना जाता है, जो व्यक्ति अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तथा साधन सम्पन्न होता है, उसका जीवन स्तर ऊँचा माना जाता है। इसी के विपरित जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की भी पूर्ति नही कर पाता उसका जीवन स्तर निम्न माना जाता है और आर्थिक स्थिति कमजोर समझी जाती है।

शिक्षा के बिना बालक का विकास संभव नहीं होता। बालक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता अनिवार्य रूप से अनुभव की जाती है, क्योंकि शिक्षा में वह गुण है, जो बालक के जीवन स्तर को उंचा उठाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है, इसीलिए व्यक्ति का सुशिक्षित होना उसकी प्रथम आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणी है और समाज में रहने के लिए मानव जीवन में सामाजिक मूल्यों को सीखना अत्यंत

आवश्यक है और इस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है क्योंकि –

"शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यवहारिक, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य संबंधी योग्यताओं का विकास है।" **–श्री अरविन्द**

व्यवहारिक अर्थ में शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जीवनपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि – **"शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है।"** यह केवल विद्यालय या कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जाने अनजाने रूप में मिलती ही रहती है। शिक्षा केवल अध्यापक ही नहीं देते, बल्कि वह तो छोटे बड़े स्त्री पुरूष यहां तक की प्रकृति से भी मिल सकती है। इस दृष्टि से बालक किसी विशेष व्यक्ति से शिक्षा प्रापत नहीं करता, वरन् उसके चारों ओर के परिवेश में भी शिक्षा के अनेकों साधन होते हैं।

वर्तमान समाज में कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और इसी कारण उनका जीवन स्तर भी कमजोर है, जीवन स्तर कमजोर होने के मुख्य कारण आर्थिक परेशानी है, धन के अभाव में व्यक्ति जहां अपनी न्यूनतम आवश्यककताओं को पूण्र करने में असमर्थ है, इसी असमर्थता के कारण वह शिक्षा प्राप्त करने का विचार ही नहीं कर पाता, क्योकि भूखे पेट भजन नहीं होते, उनका सारा समय दो समय की रोटम माने में ही व्यतित हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करने से बालक में कुशलता आती है और इसी कुशलता से वह अच्छी कार्य योजना तैयार कर सकता है। जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को उंचा उठा सकता है। अतः अत्यन्त निम्न स्तर का जीवन जीने वाले श्रमिकों के बालकों का जीवन स्तर सुधारने हेतु उनके शैक्षिक विकास की और ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसी शैक्षिक विकास की दिशा में बाल श्रम परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

इस परियोजना के आधार पर उन श्रमिक बस्तियों में ''विशेष बाल श्रम विद्यालय'' खोले गये हैं जहां अभी तक शिक्षा रूपी प्रकाश नहीं पहुंच पाया था। सामान्यतया ये बाल श्रमिक भी अपने माता पिता के साथ काम पर जाते थे और धीरे धीरे वहीं की श्रम साध्य

इकाईयों में कार्यरत होते चले गये जब इन मासूम बालकों के माध्यम से घर में धन की स्थिति सुधरने लगी तो माता पिता भी उन्हें धनोपार्जन करने वाली इकाई समझने लगे अतः उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगे एवं उनका ध्यान शिक्षा के स्थान पर धन कमाने में लता चला गया और इस तरह हमारे समाज एवं देश में बाल श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढने लगी जो वर्तमान में हमारे सम्मुख सबसे बडी चुनौती के रूप में सामने आती है।

विशेष बाल श्रम विद्यालयों के माध्यम से ऐसे बालकों को शिक्षित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्व में कहीं न कहीं कार्यरत थे और अपने परिवार के भर पोषण में व्यस्क सदस्यों का हाथ बटाते थे। उज्जैन जिले में ही 40 बाल श्रमिक विद्यालय खोले गये हैं जिसमें से 34 उज्जैन नगर में ही है और शेष 06 विद्यालय नागदा में चलाए जा रहे हैं। इन विोष बाल श्रमिक विद्यालयों में बालक को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है जो भविष्य में उन्हें रोजगार प्रदान करवाने में सहयोगी सिद्ध होगा।

पारिभाषीकरण के संबंध में डब्ल्यू एस. मनरो का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि –

''समस्या के पारिभाषीकरण से तात्पर्य उसका शुद्धता एवं विस्तार पूर्वक विशेष वर्णन करना है। प्रत्येक प्रमुख तथा सहायक प्रश्न का विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक है। अनुसंधान की सीमा भी निश्चित करनी होगी। क्या करना है, इसके निश्चय के लिये संबन्धित पूर्व–अध्ययन का भी वर्णन करना होगा। इसके साथ ही कभी–कभी उन सिद्धांतों पर भी विचार करना होता है जो अनुसंधान के लिये आधार बनेगे। यदि कुछ अवधारणाए। बनानी हो तो उनका भी स्पष्ट कथन आवश्यक होगा।''

यहाँ पर समस्या का शीर्षक श्रम के उस क्षेत्र के उस क्षेत्र की ओर संकेत करता है, जहाँ बालक कार्य करते है। आवश्यकता इस बात की है, कि विषय निर्धारण के बाद समस्या का विधिवत कथन किया जाये।

''बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से अशासकीय संगठन द्वारा चलाये जा रहे बाल श्रम विद्यालयों का समीक्षात्मक अध्ययन उज्जैन नगर के संदर्भ में।''

यहाँ पर यह इंगित करना उचित होगा कि अनुसंधान के शीर्षक का कथन करते समय विषय को संतुलित (न अधिक व्यापक और न अति संक्षिप्त) तथा सरल एवं स्पष्ट शब्दों मे रखना आवश्यक है। वही शीर्षक उत्तम होता है जो समस्या को समुचित रूप मे सीमित और वस्तुनिष्ठ रख सके।

शोध अध्ययन का उद्देश्य –

आज शिक्षा का उद्देश्य बालक के वर्तमान का निर्माण करना है। बालक के जीवन की प्रत्येक अवस्था में उसकी अभिवृद्धि और विकास में सहायता करती है। वातावरण का नवनिर्माण कर समाज की उन्नति के लिये भी शिक्षा आवश्यक है। ब्राउन महोदय ने कहा है कि – ''शिक्षा चेतन्य रूप में एक नियंत्रण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाये जाते है और व्यक्ति द्वारा समाज में।''

समाज एवं देश की उन्नति व्यक्ति की शिक्षा पर निर्भर है। ''शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है उत्तम शिक्षा व्यवस्था से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा देश के विकास में सक्रिय योगदान देता है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे देश के सभी व्यक्ति शिक्षित हों।

शिक्षा के विकस के लिये हमारे देश में सतत् प्रयास किये जाने के पश्चात् भी यदि हम गौर से देखें तो हमारे देश के लगभग सभी बड़े शहरों में एक वर्ग ऐसा भी दिखाई देगा जो झुग्गीयों में निवास कर रहा है एवं साथ ही वर्तमान ज्ञान–विज्ञान एवं सामाजिक विकास से अपरिचित सा है।

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उज्जैन शहर में ही संचालित 34 बालश्रमिक विद्यालयों का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किय जा रहा है जिसके उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. ऐसे बालक/बालिकाओं के समबंध में जानकारी प्राप्त करना जो बचपन से ही श्रम करने में लगे हुए है।
2. ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करना जहाँ ये बालश्रमिक कार्यरत है।
3. उन परिस्थितियो से अवगत होना जिनके कारण ये बालक/बालिकाएँ श्रम करने हेतु बाध्य हुए है।
4. बाल श्रमिकों के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनओं की जानकारी प्राप्त करना।
5. अशासकीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं (प्रोत्साहन आदि) का अध्ययन करना।
6. श्रमिक बालक/बालिकाओं की क्षैक्षणिक स्थिति की जानकारी लेना।
7. बालकों में व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करने सम्बन्धी जानकारी।
8. बालकों में विद्यालय के प्रति नियमितता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता का विकास करना।

परिकल्पनाएँ –

''परिकल्पना'' का शाब्दिक अर्थ है पूर्व – चिन्तन। यह अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अंग या स्तभं है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्या के विश्लेषण एवं पारिभाषीकरण के पश्चात् उसमें कारणों तथा कार्य कारण के सम्बंध में पूर्व चिन्तन के पश्चात् उसका परीक्षण प्रारम्भ हो जाता है अनुसंधान कार्य इस परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है।

बेकन (Bacon) –

''ज्यों ही समस्या की जानकारी हो जाती है, उसके लिये परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिए।''

परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान ही सम्भव है। वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है।

परिभाषाएँ –

- **गुड तथा स्केट्स–**

"परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अन्तिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जिसके अन्वेषण को आगे पथ–प्रदर्शन प्राप्त होता है।"

- **बार तथा स्केट्स –**

"परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है, जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान होता हैं और इसे नये सत्य की खोज के लिये आधार बनाया जाता है।"

- **गुड़ तथा हैट –**

"परिकल्पना इस बात का वग्रन करती हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं परिकल्पना भविष्य कीओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकीवैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है, और गलत भी।"

- **जेम्स ई. ग्रीटन –**

"परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति के निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है।"

- **लंगवर्ग –**

"परिकल्पना एक संभावित सामाजीकरण होता है जिसकी वैधता की जांच की जाती है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोध कार्यों का आधार हो जाता है।"

- **एम. वर्मा –**

"परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग्य साध्य के रूप में लिखते हैं और जिसकी स्पष्ट रूप में प्रदत्तों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है।"

- **जार्ज ले. मुले –**

"परिकल्पना एक अवधारणा या साध्य होती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर की जाती है तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका औचित्य प्रगट किया जाता है।"

- **लुण्डबर्ग –**

"परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है।"

परिकल्पना को स्पष्ट करते हुए टाउनसैण्ड ने कहा है – "परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है।"

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना निम्नानुसार है –

1. अशासकीय संस्थाओं ने केन्द्र सरकार की योजनाओं में सहयोग देकर बाल श्रमिकों की शिक्षा के सुदृढीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
2. अशासकीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से श्रमिक बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है।
3. शिक्षा के लोक व्यापीकरण में "बालश्रम परियोजना" जैसी संस्थाऐं सार्थक सिद्ध हो रही है।
4. बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों के माध्यम से बालक/बालिकाओं को शिक्षा सुविधा प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त होंगे।

"परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है, जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में सही मान लिया जाता है तथा निरीक्षण, प्रदत्तों के आधार पर तथ्यों के आधार पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो आगे के शोध कार्यों का निर्देशन देता है"

–जार्ज डब्ल्यू बेस्ट

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अच्छी पुस्तकें जीवन्त देव प्रतिमायें हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है।

क्रं.	पुस्तक का नाम	लेखक, प्रकाशक, वर्ष
1.	शिक्षा के सामान्य सिद्धांत	श्री त्यागी एवं पाठक
2.	व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य भूगोल	श्री राठी, खनूजा एवं कुसुमकार
3.	श्रम समस्याऐं एवं समाज कल्याण	डॉ. आर.सी. सक्सैना 1987 नाथ एण्ड कंपनी मेरठ 2 (उ.प्र.)
4.	श्रम अर्थशास्त्र एवं श्रम समस्याऐं	डॉ. चतुर्वेदी एवं डॉ. चतुर्वेदी
5.	अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध	श्री टी.एन. भगोलीवाल एवं श्रीमती प्रेमलता भगोलवाल
6.	अनुसंधान परिचय	श्री पारसनाथ राय (लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा)
7.	शिक्षा अनुसंधान	डॉ. आर.ए. शर्मा 1992–93 आर लाल बुक डिपो मेरठ (दया प्रकाशन)
8.	अनुसंधन विधियां	डॉ. एच.के. कपिल
9.	शैक्षिक अनुसंधन के मूल तत्व	एस.वी. सुखिया
10.	शैक्षिक पलाश (शिज्ञक्षकों की चौपाल)	अप्रैल – मई 2006 अंक 8

सद्ग्रंथ ऐसे शिक्षक है, जो बिना बैंत मारे और कटु शब्द कहे, हमें उंची शिक्षा प्रदान करते हैं।

–श्री राम शर्मा आचार्य

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

Dr. Deepa Jain